डेटा संरक्षण विधेयक - मुद्दे, बहस

लेखक- करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

6 दिसम्बर, 2019

"व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे अभी तक संसद में पेश नहीं किया गया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के लिए इसमें क्या प्रस्ताव दिया गया है, यह पिछले मसौदे से अलग कैसे है और यह चर्चा का विषय क्यों है?"

वर्तमान में वैश्विक चर्चा डेटा के हस्तांतरण के आसपास घूम रही है। इस विषय पर घरेलू तौर पर कानून बनाने का भारत का पहला प्रयास व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (पीडीपी) विधेयक, 2019 के नाम से सामने आया है, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और इस शीतकालीन सत्र में संसद में भी पेश कर दिया जाएगा। विधेयक में तीन प्रमुख पहलू हैं जो पहले के मसौदा संस्करण में शामिल नहीं थे, जिसे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था।

डेटा क्यों मायने रखता है?

डेटा किसी भी तरह की जानकारी का एक संग्रह है, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है (विचार 011010101010 प्रारूप)। डेटा आमतौर पर आपके संदेशों, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन लेनदेन और ब्राउजर सर्च के बारे में जानकारी को संदर्भित करता है।

जिस व्यक्ति का डेटा संग्रहीत और संसाधित किया जा रहा है, उसे पीडीपी बिल में डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है। आपके और आपकी ऑनलाइन सर्च के बारे में जानकारी का यह बड़ा संग्रह मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, लेकिन इसके कारण गोपनीयता पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि यह बेहद व्यक्तिगत पहलुओं को प्रकट कर सकता है। कंपनियों, सरकारों, और राजनीतिक दलों को यह मूल्यवान लगता है क्योंकि वे इसका उपयोग आपको ऑनलाइन विज्ञापन देने के सबसे ठोस तरीके खोजने में कर सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि भविष्य की अधिकांश अर्थव्यवस्था और कानून प्रवर्तन को राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दों को पेश करते हुए डेटा के नियमन पर समर्पित किया जाएगा।

कौन संभालेगा डेटा और कैसे?

डेटा को एक भौतिक स्थान में दस्तावेजों की फाइल कैबिनेट के समान संग्रहित किया जाता है और पानी के नीचे के केबलों के द्वारा देश की सीमाओं पर ले जाया जाता है।

डेटा को इकठ्ठा किया जाता है और डेटा फिड्यूशियरी (हमारे डेटा को एकत्र या उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एक डेटा फिड्यूशियरी है) नामक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिड्यूशियरी का कार्य डेटा को क्यों और कैसे संसाधित किया जाए, उसे नियंत्रित करना है, जबकि प्रसंस्करण को स्वयं एक तृतीय पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे डेटा प्रोसेसर कहा जाता है। यह अंतर उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित है ताकि डेटा एक इकाई से दूसरे इकाई तक पहुँच सके। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, फेसबुक (डेटा कंट्रोलर) डेटा प्रोसेसर - कैम्ब्रिज एनालिटिका- के कार्यों के कारण विवाद में पड़ गया था।

डेटा की भौतिक विशेषताएँ - जहाँ डेटा संग्रहीत किया जाता है, जहाँ इसे भेजा जाता है, जहाँ इसे कुछ उपयोग में बदल दिया जाता है - डेटा प्रवाह कहलाता है। डेटा स्थानीयकरण के तर्कों का अनुमान इस विचार पर लगाया जाता है कि डेटा प्रवाह यह निर्धारित करता है कि डेटा की पहुंच किसके पास है, कौन इससे लाभान्वित होता है और कौन इसका मालिक है। हालांकि, कई लोग कहते हैं कि साइबर दुनिया में डेटा का भौतिक स्थान प्रासंगिक नहीं है।

पीडीपी बिल डेटा ट्रांसफर को विनियमित करने का प्रस्ताव कैसे करता है?

इस विषय पर कानून बनाने के लिए, बिल व्यक्तिगत डेटा को तीन भागों में विभाजित करता है। अम्ब्रेला ग्रुप, सभी का व्यक्तिगत डेटा है, अर्थात ऐसा डेटा जिससे हर व्यक्ति की पहचान की जा सके। कुछ प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (एसपीडी) माना जाता है, जिसे विधेयक, वित्तीय, स्वास्थ्य, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिक, ट्रांसजेंडर स्थिति, जाति, धार्मिक विश्वास के रूप में परिभाषित करता है। एक अन्य सबसेट महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा है। सरकार किसी भी समय कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर विचार कर सकती है और इसमें सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा के रूप में उदाहरण दिए गये हैं।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक में, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए संस्करण में तीन महत्वपूर्ण बदलाव हैं।

- मसौदे में कहा गया था कि सभी फिड्यूशियरीज को भारत में सभी व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहित करनी होगी। स्वीकृत विधेयक इस शर्त को हटा देता है, अब केवल विदेश में डेटा हस्तांतरण के लिए व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता होगी। हालांकि, पिछले मसौदे के समान ही इस बिल में अभी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को केवल भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता है। इसे डेटा संरक्षण एजेंसी (डीपीए) की मंजूरी सहित कुछ शर्तों के तहत ही विदेश में संसाधित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की अंतिम श्रेणी को भारत में संग्रहित और संसाधित किया जाना चाहिए।
- यह विधेयक फिड्यूशियरीज को मांग के अनुसार सरकार को कोई भी गैर-व्यक्तिगत डेटा देने की आज्ञा देता है। गैर-व्यक्तिगत डेटा अज्ञात डेटा को संदर्भित करता है, जैसे कि ट्रैफिक पैटर्न या जनसांख्यिकीय डेटा। पिछला मसौदा इस प्रकार के डेटा पर लागू नहीं हुआ था, जिसका उपयोग कई कंपनियां अपने व्यवसाय मॉडल को निधि देने के लिए करती हैं।
- सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े उन उपभोक्ताओं की पहचान के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा जो स्वेच्छा से अपनी पहचान बताने को तैयार हैं।

सोशल मीडिया को एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त कर अपने प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं का सत्यापन कराने का विकल्प देना होगा। यह भी उपभोक्ताओं की स्वेच्छा पर होगा कि वह सत्यापन कराना चाहते हैं या नहीं। इसमें प्रावधान होगा कि डाटा मालिक को अपने डाटा मिटाने, सुधारने या कहीं और ले जाने के अधिकार दिए जाएं।

इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विधेयक में 'उचित उद्देश्यों' के लिए किसी व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा को संसाधित करने की छूट शामिल है, जिसमें राज्य की सुरक्षा, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या धोखाधड़ी का पता लगाना, विसलब्लोविंग, चिकित्सा, आपात स्थिति, क्रेडिट स्कोरिंग, सर्च इंजन का संचालन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का प्रसंस्करण शामिल है।

विधेयक एक स्वतंत्र नियामक डीपीए के निर्माण का आह्वान करता है, जो आकलन और ऑडिट की देखरेख करेगा। प्रत्येक कंपनी में एक डेटा सुरक्षा अधिकारी (डीपीओ) होगा जो ऑडिटिंग, शिकायत निवारण, रिकार्डिंग रख-रखाव और अधिक के लिए डीपीए के साथ संपर्क करेगा। समिति के मसौदे को भारत में डीपीओ की आवश्यकता थी।

यह व्यक्तियों को डेटा पोर्टेबिलिटी और किसी के स्वयं के डेटा को एक्सेस और ट्रांसफर करने की क्षमता का अधिकार देता है। अंत में, यह भूल जाने के अधिकार पर कानून बनाता है। यूरोपीय संघ के कानून में ऐतिहासिक जड़ों के साथ, यह अधिकार किसी व्यक्ति को डेटा संग्रह और प्रकटीकरण के लिए सहमति को हटाने की अनुमति देता है।

बहस के दो पक्ष क्या हैं?

डेटा स्थानीयकरण के लिए-

सरकारी अधिकारियों का एक आम तर्क यह है कि डेटा स्थानीयकरण कानून-प्रवर्तन को जांच और प्रवर्तन के लिए डेटा तक पहुँचने में मदद करेगा। अब तक, सीमा पार डेटा हस्तांतरण का अधिकांश भाग व्यक्तिगत द्विपक्षीय ष्पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों द्वारा संचालित होता है - एक प्रक्रिया जो लगभग सभी हितधारकों से सहमत है बोझिल है। इसके अलावा, प्रस्तावक विदेशी हमलों और निगरानी के खिलाफ सुरक्षा को उजागर करते हैं, डेटा संप्रभुता की धारणाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

सरकार का तर्क तब और मजबूत हो गया जब यह न्यूज आई कि पेगासस नामक एक इजरायली सॉफ्टवेयर द्वारा 121 भारतीय नागरिकों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया गया था। इससे पहले भी, व्हाट्सएप के खिलाफ इस तर्क का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था जब 2018 में देश भर में लिंचिंग की घटनाएं इस प्लेटफॉर्म के कारण एक अफवाह बन कर तेजी से फैल गयी थी। एन्क्रिप्टेड सामग्री पर व्हाट्सएप के दृढ़ रुख ने दुनिया भर के सरकारी अधिकारियों को निराश किया है।

कई घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियां, जो अपने अधिकांश डेटा को भारत में विशेष रूप से संग्रहित करती हैं, स्थानीयकरण का समर्थन करती हैं। पेटीएम ने लगातार स्थानीयकरण का समर्थन किया है और रिलायंस जियो ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डेटा विनियमन स्थानीयकरण के बिना कमजोर है। कई अर्थव्यवस्था हितधारकों का कहना है कि स्थानीयकरण से भारत सरकार की इंटरनेट दिग्गजों पर कर लगाने की क्षमता भी बढ़ेगी।

इस बिल के खिलाफ तर्क

नागरिक समाज समूहों ने विधेयक में सरकार को दिए गए ओपन-एंडेड (पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होना) अपवादों की आलोचना की है, जिसमें इसे निगरानी की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, कुछ वकीलों का तर्क है कि सुरक्षा और सरकार की पहुंच स्थानीयकरण से प्राप्त नहीं होती है। यहां तक कि अगर डेटा देश में संग्रहित है, तो एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो सकती हैं।

फेसबुक और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों और उनके उद्योग निकायों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण संबंधों वाले, गंभीर प्रतिक्रिया का सामना कर चुके हैं। कई लोग एक खंडित इंटरनेट या एक 'स्प्लिन्टरनेट' से संबंधित हैं। इस भावना का ज्यादातर हिस्सा वैश्विक, प्रतिस्पर्धी इंटरनेट बाजार के मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है, जहां लागत और गति राष्ट्रवादी सीमाओं के बजाय सूचना प्रवाह को निर्धारित करते हैं। विरोधियों का कहना है कि संरक्षणवाद भारत के अपने युवा स्टार्टअप्स के लिए या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों, जैसे कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज और विप्रो, के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

   1. इस विधेयक में बी.एन. कृष्णा समिति द्वारा प्रस्तुत डेटा प्रोटेक्शन रिपोर्ट में सभी तरह के संवेदनशील डेटा को केवल भारत में संग्रहित करने के अधिकार को शामिल किया गया है।
   2. डेटा संरक्षण एजेंसी (डीपीए) को डेटा आकलन और ऑडिट के लिए स्वतंत्र नियामक के रूप में गठन करने का प्रावधान है।
   3. प्रत्येक कंपनी में एक डेटा सुरक्षा अधिकारी ऑडिटिंग, शिकायत निवारण एवं रिकॉर्डिंग रखरखाव के संबंध में डेटा संरक्षण एजेंसी से परामर्श करेगा।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3

   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of Personal Data Protection Bill, 2019.**

   1. The Bill includes the right to store all types of sensitive data only in India in the Data Protection Report submitted by B.N. Krishna Committee.
   2. There is a provision to constitute the Data Protection Agency (DPA) as an independent regulator for data assessment and audit
   3. A data security officer in each company will consult the data protection agency regarding auditing, grievance redressal and record maintenance.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3

   (c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: "डेटा भविष्य की हर कूटनीति तथा हर रणनीति की कुंजी होगा,ऐसे में किसी भी देश के लिए इसका संरक्षण तथा स्थानीयकरण दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Data will be the key to every diplomacy and every strategy of the future, so its protection and localization is very important for any country. Analyze this statement. (250 words)

नोट : 5 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।